भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>लोक सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 17</u>

(जिसका उत्तर सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है)

<u>विद्‍युत-चालित दुपहिया वाहनों पर जीएसटी</u>

†17. प्रो॰ अच्युतानंद सामंतः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने सस्ते एवं विद्‍युत-चालित दुपहिया वाहनों को अधिकांश भारतीय नागरिकों के लिए मूलभूत आवश्यकता मानते हुए इन वाहनों पर जीएसटी को कम करने पर विचार किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया है कि कोविड-19 महामारी आरंभ होने तथा इसके बाद के प्रभावों के कारण अधिकाधिक लोग यातायात के व्यक्तिगत साधनों का प्रयोग करेंगे;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की दुपहिया वाहनों को सामान्य नागरिकों को और अधिक सुलभ कराने के लिए इन वाहनों पर जीएसटी दरों में कटौती करने की कोई योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

<u>वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)</u>

(क) तथा (ख): विद्‍युत चालित वाहनों (विद्‍युत चालित दुपहिया वाहनों सहित) पर जीएसटी की दरों के बारे में 27 जुलाई, 2019 को हुई जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक में विचार किया गया था। इस बैठक में उक्त परिषद ने विद्‍युत चालित सभी प्रकार के वाहनों पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% किये जाने के लिए मंजूरी दे दी थी। तदनुसार, अधिसूचना सं. 12/2019-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 31 जुलाई, 2019 को जारी करके विद्‍युत चालित वाहनों पर (दुपहिया वाहनों समेत) जीएसटी की दर को कम करके 5% कर दिया गया था।

(ग) से (ङ): जीएसटी की दर में कोई भी परिवर्तन जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। इस समय दुपहिया वाहनों पर जीएसटी की दर को कम करने के बारे में जीएसटी परिषद की कोई भी सिफारिश नहीं है।

*****